न्यायालय मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

(61)

प्रकरण क्र0

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/4275

1. लालमणि तनय जमुना गड़रिया
2. श्रीमती मगरी पत्नी लालमणि गड़रिया
3. जोगेन्द्र तनय लालमणि गड़रिया

सभी जाति गडरिया एवं निवासी–ग्राम हाटा, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्तागण**

बनाम

रामचन्द्र तनय सुखउ गड़रिया, जाति गड़रिया, निवासी–ग्राम हाटा, थाना व तहसील हनुमना, जिला रीवा (म0प्र0) ....**गैरनिगरानीकर्ता**

श्री ... द्वारा आज दि. 6-11-17 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण क्र0 109–ए70/04–05 में पारित आदेश दिनांक 25 08.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1. यह कि ग्राम हाटा, तहसील हनुमना स्थित आ0ख0नं0 229/2/ख/2 रकवा 0.032 हे0 के भूमिस्वामी निगरानीकर्तागण तथा 229/1/ख/मिन/2 रकवा 0.405 का भूमिस्वामी उत्तरवादी है। उत्तरवादी द्वारा ग्राम न्यायालय भदौहा, जनपद पंचायत हनुमना के तत्कालीन अध्यक्ष को अपने प्रभाव में लेकर विधि विरुद्ध तरीके से निगरानीकर्तागण को उनके स्थापित कब्जे से बेकब्जा करने के उद्देश्य से कपटपूर्वक कब्जा वापस का आदेश दिनांक 23.12.2004 को ग्राम न्यायालय भदौहा से पारित कर दिया गया, जिसकी निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी, जो प्रकरण चलता रहा।

D.K. Pasi (Ad.)
Board of Revenue Motimahal
M.P. Gwalior
Mob. 9753356589

XXIX(a)-BR(H)-11

(57)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 4275-III/17 जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनु० अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 109/अ-70/04-05 में पारित आदेश दिनांक 25-8-17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर जिला-रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-9-19 को कलेक्टर जिला रीवा म.प्र. के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	